RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-02
Issue-09
September-2017

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com

दहेज उत्पीड़न के लिये उत्तरदायी परिस्थितियों एवं सिद्धान्तों का एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

Dr. Sudha Kumari

Working Teacher Subject of(Home Science) +2 Govt Teacher in Higher Secondary School at Noora Jila Parishad, Patna

ARTICLE DETAILS

Article History
Received: 05 August 2017
Accepted: 10 Sep 2017
Published Online: 15 Sep 2017

Keywords
उत्पीड़न, विक्षिप्त, संचार, मनोवैज्ञानिक असंतुलन

ABSTRACT

1970 के पूर्व दहेज के लिए नारियों को जान से मारने एवं मरने के लिए विवश करने की घटनायें संचार के माध्यमों द्वारा यदा–कदा ही प्रकाश में आती थी। यदि किसी घटना का कहीं समाज में उल्लेख मिलता था तो इस बात को सुनने वाले यह संतोष कर लेते थे कि उस नारी में कोई मनोवैज्ञानिक असंतुलन रहा होगा, मानसिक रूप से विक्षिप्त रही होगी या किसी कारणवश उस महिला का टूटा हुआ व्यक्तित्व होगा। परन्तु अस्सी के दशक से संचार मीडिया ने आय दिन दहेज के लिए नववधू को मारने–पीटने, जलाने, गला दबाकर हत्या करने एवं आत्महत्या के लिए विवश करने की घटनाओं का जब निरन्तर उल्लेख करना प्रारम्भ किया तो भारत के समाजशास्त्रीयों का ध्यान इधर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। भारतीय समाजशास्त्रियों ने 1970 तक ग्रामीण समाज के अध्ययन, जनजाति समाजों के अध्ययन, पारिवारिक स्वरूप, समाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का अध्ययन आदि ऐसे विषयों पर अपना ध्यान शोध के लिए केन्द्रित रखा। तदोपरान्त पारिवारिक स्वरूप के अध्ययन के अन्तर्गत दहेज के कारण स्त्रियों के उत्पीड़न का अध्ययन करना उनके लिए अनिवार्य हो गया। उत्तरोत्तर इस प्रकार की बढ़ती घटनायें केवल परिवार को ही संकट में नहीं डाला है वरन् सम्पूर्ण समाज को झकझोर कर रख दिया है। प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय समाज में नवविवाहिताओं के साथ हो रहे दहेज उत्पीड़न के लिये उत्तरदायी प्रमुख परिस्थितियों एवं सिद्धान्तों को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से रेखांकित किया गया है।

अध्ययन–प्रविधि :

प्रस्तुत शोध आलेख विवरणात्मक पद्धति पर आधारित है। शोध–आलेख में तथ्यों के संकलन का मुख्य आधार द्वितीयक स्त्रोत है। विभिन्न शोध पत्र, एवं पत्रिकाओं, शोध–ग्रन्थों का गहन अवलोकन कर तथ्यों एवं सूचनाओं का संकलन किया गया है। व्यापक तौर पर तथ्यों को संकलित इस प्रकार किया गया है ताकि अध्ययन एवं इससे प्राप्त निष्कर्ष क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से ज्ञान के क्षेत्र में लाभकारी साबित हो सके। विषय से संबंधित वास्तविकताओं को समझने में यह शोध–आलेख एक उपयुक्त एवं समुचित आधार होगा।

विश्लेषण :

भारत ही नहीं वरन विश्व में मात्र दहेज के लिए उत्पीड़न की सीमा मौत तक पहुँचा देने की घटनायें चौंका देने तथा रोंगटे खड़ी करने वाली दुर्घटनायें हैं। एक ओर भारत आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों से ओत–प्रोत रहा है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की जघन्यतम कुकृत्य करने की मानसिकता कैसे विकसित हो गयी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीयता के लिए खड़ा हो गया है। उत्तरोत्तर इसकी बढ़ती घटनायें केवल परिवार को ही संकट में नहीं डाला है वरन् सम्पूर्ण समाज को झकझोर कर रख दिया है। भारत में अपनी कन्याओं को विवाह के समय उपहार देने की प्रथा वैदिक काल से ही चली आ रही है। विवाह के आठ स्वरूपों में ब्रम्ह–विवाह के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से निर्देश है कि सुयोग्य वर के हाथ अपनी कन्या को सौंप दे, उसका परिवार भौतिक रूप से सुखी रह सके, इसके लिए माता–पिता, स्वजन एवं सभी सगे–सम्बन्धी उसको इतना स्नेहोपहार प्रदान करें जिससे उसका गृहस्थी जीवन बसे और भलि– भॉति चल सके।

इसी उपहार का पर्यायवाची शब्द दहेज है, दहेज या उपहार देने या लेने के पीछे किसी जोर जबरदस्ती की भावना नहीं है। उपहार तो उपहार है, चाहे वह किसी भी प्रकार का हो। इसमें देनेवाला एवं लेनेवाला परिवार के व्यक्ति सहज भाव से एवं उदारचित से प्रदान करते एवं ग्रहण करते है। मिताक्षरा में भी जहॉ माता–पिता की सम्पत्ति में लड़कियों को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, वहीं पर इस उल्लेख है कि कन्या को इतना उपहार दिया जाय कि उसकी गृहस्थी बस सके। 1956 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम एवं 1961 में पारित दहेज अधिनियम ने शायद ही प्रभाव डाला हो जिससे दहेज प्रथा को प्रोत्साहन न मिले। किन्तु उत्तरोत्तर दहेज प्रथा से सम्बन्धी उत्पीड़न नव–वधू की हत्यायें और सास–ससुर में बढ़ती हुई क्रूरता के पीछे क्या कारण है? समाजशास्त्रिय दृष्टि से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। नव–वधुओं की हत्या वह भी मात्र दहेज के लिए हो, यह कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। यह एक उच्च शीर्ष प्राथमिकता वाली सामाजिक समस्या है, जिसके अध्ययन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्योंकि यह समाज को विघटित और मानवता को ग्रसित करनेवाला प्रकरण है।

समाजशास्त्रियों का ध्यान इस गंभीर समस्या पर चार सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों से आकर्षित हुआ है–

(1) 1980 और 90 के दशक में तीव्र गति से बढ़ती हुई दहेज की दुर्घटनायें और उनकी रिपोर्टिंग।

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

(2) नारी जागरण एवं क्रान्ति ने जिससे अनेक नारी संगठनों ने एवं महिला आयोग ने इस यातना, प्रताड़ना, उत्पीड़न एवं मौत के विरूद्ध प्रदर्शन करके अभियान छेड़ा और शासन एवं प्रशासन से मांग की कि इस दहेज उत्पीड़न को तत्काल रोका जाय।

(3) पूर्व के समाजशास्त्रियों की यह धारणा कि सामाजिक समस्या को समझने के लिए सिद्धान्तों और आदर्शों का प्रतिमान होना चाहिए में परिवर्तन लाने के लिए नवीन विचारधारा के समाजशास्त्रियों ने संघर्ष प्रतिमान एवं सामाजिक क्रिया प्रतिमान के द्वारा सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए उचित पद्धति ठहराया।

समाज के सामने दो पक्ष खड़ा होता है। पहला दहेज उत्पीड़न–मृत्यु जो इसी की परिपूर्ति है। यह भारतीय समाज में किस सीमा तक फैल चुकी है और कितना गंभीर रूप धारण करेगा। दूसरा नवविवाहित कन्या जो वधू बनकर दूसरे के घर में आती है, चाहे वह कितनी शिक्षित, अशिक्षित, धनी, गरीब, ऊँची या नीची जाति की क्यों न हो, उनके परिवार में पति, सास, ससूर, देवर की सोच में ऐसे किन कारणों का प्रवेश हो गया है, जिसके फलस्वरूप वे इतने क्रूर हो गये हैं कि ऐसी सुन्दर मासूम, कम आयु की वधू पत्नी जिसने कि अपनी ओर से कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है, जिससे उत्तेजना एवं तनाव आ जाए और उसे इस सीमा तक प्रताड़ना दी जाय कि उसकी हत्या तक कर दी जाय। इन घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके पीछे कौन से सैद्धान्तिक कारण है, कौन सी प्रेरणायें कार्य करती है तथा कौन सी परिस्थितियॉ कार्य कर रही है, इसका समाजशास्त्रीय अध्ययन अति आवश्यक है।

वधू उत्पीड़न एवं हत्या से सम्बन्धित सिद्धान्त :

इस सिद्धान्त के अनुसार विश्लेषण करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि दहेज के प्रकरण पर ससुराल पक्ष के सदस्य पति, ससुर, देवर, सास आदि जो नववधू को प्रताड़ित तथा हत्या करते हैं, चाहे वो जलाकर या अन्य किसी प्रकार से जान से मार देते हैं मनोवैज्ञानिक रूप से असमान्य व्यक्तित्व के होते हैं और उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। चूकि इस प्रकार की घटनाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन बहुत ही कम हुआ है, इसलिए इस सिद्धान्त को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेना आंशिक सत्य होगा। मनोवैज्ञानिक कारण पर विचार करते समय यह अध्ययन करना भी आवश्यक हो जाता है कि उत्पीड़ित महिला का व्यक्तित्व किस प्रकार का है उसका समाजीकरण किस परिप्रेक्ष्य में हुआ हैं यह भी संभव है कि उत्पीड़ित महिला का व्यवहार 'नये परिवार के परिवेश के साथ समायोजित नहीं हो पा रहा है। उसका समाजीकरण इस प्रकार का हुआ हो कि नये परिवार में उसके विचार व्यवहार, कार्य प्रणाली ससुराल पक्ष के लोगों के लिए बिल्कुल ही मान्य न हो। यह भी संभव है कि जब महिला को प्रताड़ित किया जाय तो वह इतनी डरपोक हो, सहनशील हो, मौन रहनेवाली हो या अत्यन्त प्रतिक्रियावादी या उग्र हो जिसके कारण ससुराल पक्ष के लोगों का तेवर और उग्र होता जाय। यदि समय से उस वधू की ओर से प्रतिरोध प्रारम्भ हो जाय, ससुराल पक्ष के लोगों के दुर्व्यवहार का प्रचार–प्रसार प्रारम्भ हो जाय तो शायद ऐसी दुर्घटनायें में कमी आ सकती है, इसलिए इस मनोवैज्ञानिक असमान्य व्यवहार को सिद्धान्त की पुष्टि तब तक पूर्णतया उसका विश्लेषण एवं निष्कर्ष न निकाला जाय तब तक इस सिद्धान्त को एक मात्र कारण प्रमाणित न हो जाय।

सामाजिक सीख, तनाव एवं परिवारवाद सिद्धान्त :

इस सिद्धान्त के अन्तर्गत परिवार में प्रचलित पूर्व परम्पराओं को एक कारण माना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि सास जो कभी बहू थी उसे भी उसकी सास ने उत्पीड़ित किया था। जिस सीमा तक उसकी ननद ने, उसके देवर आदि ने उसे यातना दी थी उसके अर्न्तमन में निहित है। वह भी इस अर्न्तमन में प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अपनी बहू के साथ वैसा ही बदला लेने लगे और उसे उत्पीड़ित करे। ससुराल पक्ष का परिवार जब इस विचार से ग्रसित रहता है कि वह यह दूसरे परिवार की लड़की है, इसके परिवार की दूसरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, अतः उसके साथ अपनी लड़की के समान आत्मीयता का व्यवहार नहीं करना है। कड़े अनुशासनात्मक व्यवहार करना है तब भी उत्पीड़न प्रारम्भ हो जाता है। परिवार के वसूलों का पालन करने के लिए कोई भी दंड दिया जा सकता है। पति पत्नी को कब मिलना है देवर और जेठ से कैसा व्यवहार होना है, ससुर से कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रातःकाल से रात्रि तक भिन्न–भिन्न कर्तव्यों का निर्वाह करना है, आदि से संबंधित सभी आदेशों का पालन बहू को करना है। यदि अपेक्षाओं के अनुरूप बहू का आचरण नही है तो उत्पीड़न प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु यह सिद्धान्त भी दहेज उत्पीड़न के लिए आंशिक रूप से प्रभावी है।

भौतिकवादी सिद्धान्त :

आध्यात्मिक भारत में बड़े तीव्र गति से भौतिकवाद का प्रवेश हुआ है। भौतिक सुख साधन की समृद्धि मानवीय संवेगों एवं भावनाओं से बड़ी तीव्र गति से ऊपर उठ रही है। आर्थिक सम्बन्धों का सबसे निकटता वाला सम्बन्ध माना जा रहा है। मनुष्य, मनुष्यता एवं उसके सम्बन्धों का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं एवं रूपयों की प्राप्ति के आधार पर किया जा रहा है। दहेज उत्पीड़न एवं मृत्यु के पीछे यह भी एक सैद्धान्तिक कारण है। वैदिक काल का दर्शन कि इतना उपहार दिया जाय वर्तमान समय में क्रय–विक्रय एवं मोल का स्वरूप धारण कर लिया है। विवाह तय करने के समय

© RRIJM 2015, All Rights Reserved

वर की योग्यता, नौकरी की आय, परिवार की सामाजिक –आर्थिक परिस्थिति और उसकी पृष्ठभूमि होती है, के आधार पर रूपये और वस्तुओं में दहेज का निर्धारण होता है। जिस परिवार की जैसी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति होती है तथा वर की जैसी आय एवं पद होता है उसी के अनुसार दहेज की दर घटती और बढ़ती है तथा निर्धारित होती है। इस भौतिकवादी दृष्टिकोण ने भौतिक वस्तुओं की मांग की आंकाक्षायें कितनी अधिक हो जाएगी, कोई सीमा नही है। इस सिद्धान्त के अनुसार जब वधू अपने साथ समझौता से कम नकद राशि एवं वस्तुये दहेज रूप में ले आती है तो वर पक्ष के लोग उस वधू की घोर उपेक्षा करते हुए उसका उत्पीड़न प्रारम्भ कर देते हैं। उसके परिवार की सारी विशेषताओं की उपेक्षा करते हुए अपनी मांग एवं आकांक्षाओं की फ्रेम में उस वधू और वधू पक्ष को फिट नहीं पाते हैं। परिणामतः उनके शोषण करने की प्रक्रिया उस समय तक जारी रखते हैं जब तक कि कोई दुर्घटना न हो जाय। अतः समाज की ओर से दहेज को विभिन्न प्रकारेण प्रोत्साहन मिलता जा रहा है और यही कारण है कि दहेज सम्बन्धित मांग बढ़ती जा रही है। किन्तु यह सिद्धान्त भी मॉडल के रूप में पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत में अनेक प्रदेश हैं, अनेक जातियॉ हैं, और उनके अनेक धार्मिक मान्यतायें एवं परम्परायें हैं।

निष्कर्ष :

दहेज उत्पीड़न एवं मृत्यु के पीछे उपरोक्त सैद्धान्तिक कारणों में मनुष्य, मनुष्यता एवं उसके सम्बन्धों का मूल्यांकन भौतिक वस्तुओं एवं रूपयों की प्राप्ति के आधार पर किया जाना सबसे बड़ा कारण है। वर्तमान समय में उपहार क्रय–विक्रय और मोल का स्वरूप धारण कर लिया है। परिवार की आर्थिक पृष्ठिभूमि को सामाजिक प्रास्थिति का एक महत्वपूर्ण मापदण्ड माना जा रहा है और इसी आधार पर उपहार के स्वरूप में कन्या पक्ष से दहेज मांगा जा रहा है। भौंतिकवादी युग ने उपहार के रूप में विभिन्न वस्तुओं की असीमित मांग की अपेक्षायें को बढ़ा दिया है। इन अपेक्षाओं की पूर्ति में यदि किन्हीं कारणवश वधू पक्ष से कोई कमी रह जाती है तो विवाहोपरान्त उसका उत्पीड़न प्रारम्भ हो जाता है।

संदर्भ ग्रन्थों की सूची :

1. *Agarwal S. N. : Age at marriage in India, Allahabad, Kitab Mahal, 1962.*
2. *Billington, Marry Frances : Women in India : New Delhi, Amarko Book Agency, 1973*
3. *Babel, August, 1975 : Women in Past, Present & Future, Calcutta : National Book Centre*
4. *Ahuja, Rani Sociological Criminology, New Age International Ltd. Publishers, New Delhi, 1996.*
5. *Billington, Mary Frances : Women in India : New Delhi, Amarko Book Agency, 1976*
6. *Borland, Maries (ed) 2 : Voilence in the Family : Manchester university Press, Manchester, 1976*
7. *Bose, N. K., 1967 : Culture and Society in India, New York : Asia Publication House*

© RRIJM 2015, All Rights Reserved